राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांकः १२(१)पप/२२ जयपुर, दिनांकः– 29 JUN 2022

आदेश

राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2012 के नियम 33 के प्रावधानानुसार मत्स्य विभाग में मत्स्य विकास अधिकारी के रिक्त पदों को आवश्यक अस्थायी आधार पर प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर तीन माह के लिए अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग/भर्ती एजेन्सी से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु शासन के आदेश क्रमांक एफ.5(2)(2) निम/स्था/ई/2021–22/25 दिनांक 06.04.2022 द्वारा चयन बाबत् जिला स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंषाओं अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को मत्स्य विकास अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक राशि रूपये 39,300/– (अक्षरे रूपये उनचालिस हजार तीन सौ मात्र) प्रतिमाह पर उनके कार्यग्रहण तिथि से तीन माह तक के लिये मत्स्य विकास अधिकारी के पद का कार्य करने हेतु पूर्णतया अस्थायी रूप से लगाया जाता हैः–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म दिनांक	कार्यस्थल का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री कविन्द्र	श्री जगदीश प्रसाद	31.12.1995	मत्स्य विकास अधिकारी, पाली
2.	श्री राजू राम	श्री जवरी लाल	01.01.1990	मत्स्य विकास अधिकारी, सिरोही
3.	सुश्री शिवानी वर्मा	श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा	10.11.1997	मत्स्य विकास अधिकारी, भीलवाड़ा
4.	सुश्री तंजीम खान	श्री आलिम खान	13.08.1998	मत्स्य विकास अधिकारी, झालावाड़

समेकित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश (आकस्मिक अवकाश के अलावा) तथा वरिष्ठता आदि देय नहीं होगी तथा इनके समेकित पारिश्रमिक में से जी.पी.एफ./सी. पी.एफ., राज्य बीमा आदि की कटौती नहीं की जावेगी। कार्यस्थल पर कार्यभार संभालने हेतु कोई यात्रा भत्ता भी देय नहीं होगा।

यह आदेश कार्मिक (क–2) विभाग की आई.डी. संख्या 341 दिनांक 07.03.2022, वित्त (व्यय–1) विभाग की आई. डी. संख्या 152100995 दिनांक 02.12.2021 एवं प्रशासनिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 5(2)(2)निम/स्था/ई/2021–22/17–24 जयपुर, दिनांक 06.04.2022 के अनुसरण में जारी किये गये हैं। अभ्यर्थी का जिस जिले से चयन किया गया है उस जिले से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। **यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर की जा रही है। उपरोक्त अस्थायी चयन के आधार पर अभ्यर्थी भविष्य में राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं रहेगा।**

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/मत्स्य अधिकारी अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी से कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में धूम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने का वचनबद्ध (Udertaking), कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीकरण की सूचना/दहेज नहीं लिये जाने का शपथ पत्र तथा नियुक्ति के संबंध में आवश्यक शर्तों पर अभ्यर्थी की सहमति के संबंध में राशि रू. 100/– के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प एवं नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाना आवश्यक होगा।

चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपने कार्यस्थल पर उपस्थिति देनी अनिवार्य होगी, अन्यथा उसका यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

–sd–
(कश्मी कौर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संबंधित मत्स्य विकास अधिकारी, मत्स्य विभाग, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करने के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर लें एवं शैक्षणिक योग्यता, दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र एवं संबंधित श्रेणी के प्रमाण स्वरूप मूल दस्तावेज प्राप्त कर लें।
9. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय मत्स्य, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. संबंधित अभ्यर्थी।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव